समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर शिविर भोपाल

निग/2736/I/15 पुनरीक्षण कं. ..../15

1. अशफाक खां
2. इन्साफ खां पुत्रगण कालेखां

निवासी–गोलना तह.शमशाबाद जिला–विदिशा ... आवेदक

विरूद्ध

1. गुमना आ. बंशी
2. भगवतीबाई पत्नि रामदयाल
3. राजबाई पत्नि रमेश
4. रामश्रीबाई पत्नि कन्छेदी

निवासी–गोलना तह.शमशाबाद जिला–विदिशा ... अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू.रा.संहिता

महोदय,

आवेदक, न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्र.कं. 26/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2014 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है ।

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने अनावेदक कं.1 से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 25.05.2002 द्वारा ग्राम गोलना स्थित भूमि ख.कं. 195/1 रकबा 2.597 हे.मे से रकबा 1.254 हे. भूमि कय कर विधिवत अपना नामान्तरण पंजी वर्ष 2007–08 में करा लिया एवं ऋण पुस्तिका भी प्राप्त कर ली परन्तु तत्कालीन पटवारी द्वारा सम्भवतः खसरे में इन्द्राज नहीं किया गया जिसका लाभ उठाकर अनावेदक कं. 1 द्वारा अपने पुत्र की पत्नियों अर्थात अनावेदक कं. 2 से 4 के नाम पर दिनांक 29.12.11 को विकय पत्र निष्पादित कर संशोधन पंजी दिनांक 03.02.2012 के द्वारा नामान्तरण करा लिया गया । आवेदक द्वारा उक्त ओदश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार की गई उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की गई अतः यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2736–एक/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-9-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी न्यायालय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 26/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20–10–14 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है । 2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गोलना स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 195/1 रकबा 2.597 हैक्टर में से रकबा 1.254 हैक्टर आवेदकों ने अनावेदक कमांक 1 से कय की । अनावेदक कमांक 1 ने पुनः उक्त भूमि का विकयपत्र अनावेदक कमांक 2 से 4 के नाम दिनांक 29.12.11 को निष्पादित कराया एवं राजस्व अभिलेख में उनका नाम अंकित करा दिया जो संशोधन पंजी की प्रविष्टि कमांक 4 पर दिनांक 3.2.12 को तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 25.10.13 द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण तहसीलदार को प्रथम विकयपत्र के आधार पर आवेदकों के पक्ष में विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	अनावेदक कमांक 1 से आवेदकों ने भूमि दिनांक 25.5.02 को कय कर वर्ष 2007–08 में अपना नामांतरण करा लिया था । अनावेदक कमांक 1 को दुबारा भूमि विकय का अधिकार नहीं था। आवेदक के पक्ष में प्रथम विकयपत्र होने एवं भूमि उसके नाम नामांतरण होने के कारण अनावेदक कमांक 1 द्वारा निष्पादित द्वितीय विकयपत्र स्वयं ही शून्य होने के कारण उसके आधार पर पारित आलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण था, जिसे निरस्त करने में एस.डी.ओ. ने कोई त्रुटि नहीं की थी । आयुक्त ने बिना किसी विधिक आधार के एस.डी.ओ. के आदेश को निरस्त कर त्रुटि की है । यह तर्क दिया गया कि अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा उक्त विकयपत्र के आधार पर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के समक्ष व्यवहार वाद कमांक 310ए/12 दिनांक 19.11.12 को संस्थित किया गया जिसमें दिनांक 20.7.13 को उनके द्वारा प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 का निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपर जिला न्यायाधीश ने 16–4–14 के आदेश द्वारा निरस्त की । अनावेदकों ने उक्त तथ्य को छिपाकर आयुक्त के समक्ष अपील की जो यह प्रमाणित करती है कि वे स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं । 4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 110/109 के तहत 6 माह का समय दिया गया है अन्यथा स्वत्व घोषणा सिविल कोर्ट में जाना होगा । आयुक्त ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है । 5/ जबाव में आवेदक द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा अनावेदकों के	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2736–एक/15

जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पक्ष में विकयपत्र संपादित करने के पूर्व ही नामांतरण करा लिया गया था एवं ऋण पुस्तिका प्राप्त करली था यदि तत्कालीन पटवारी द्वारा खसरों में प्रविष्टि नहीं की गई तो उसके आधार पर अनावेदकों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है । 6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा दिनांक 25–5–02 को ग्राम गोलना स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 195/1 रकबा 2.597 हैक्टर में से 1.254 हैक्टर भूमि का विकय आवेदकगण के पक्ष में किया गया है । इसके उपरांत पुनः अनावेदक कमांक 1 द्वारा उक्त भूमि का विकय दिनांक 29–12–11 को अनावेदक कं0 2 लगायत 4 के पक्षमें किया गया है । न्यायदृष्टांत 2010 आर. एन 315 – में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत नामांतरण का प्रभाव – एक ही भूमि के दो विकय विलेख विकेता को पुनः विकय करने का अधिकार नहीं है । ऐसे विकय विलेख के आधार पर पश्चातवर्ती केता का नामांतरण कोई प्रभाव नहीं रखता है । इसी प्रकार 1987 आर.एन. 408 में यह अवधारित किया गया है कि धारा 109/110 नामांतरण नियम 32 भूमि का 2 बार विकय प्रथम क्रेता नामांतरण का अधिकारी है । विकेता को पुनः विकय करने का स्वत्व नहीं है । द्वितीय केता को कोई	

निग. 2736-I/15

अशफाक खां आदि विरूद्ध गुमन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ए अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	स्वत्व अर्जित नहीं होता है । नामांतरण केवल राजस्व अभिलेखों में अद्यतन स्थिति रखने के उद्धेश्य से किया जाता है और मात्र प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नाम दर्ज न होने के कारण उसके स्वत्व समाप्त नहीं होते हैं । विद्वान आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जो औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-10-14 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-10-13 स्थिर रखा जाता है । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0,ग्वालियर	